

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चीस'

[22/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 6436] की जानकारी (परिशिष्ट-एक)

तारांकित प्रश्न क्रमांक 6436 / 15.03.2017 के भाग

स.क्र.	जिले का नाम	विद्यालयों के द्वारा किसी तय दुकान से गणवेश व स्कूल पाठ्यक्रम खरीदने की कोई शिकायत विगत 3 वर्षों में प्राप्त			शिकायतों पर की गई कार्रवाई
		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	धार	—	1	1	(1) वर्ष 2015 की शिकायत की जाँच बी.आर.सी. धार के द्वारा दिनांक 04.04.2015 को की गई तथा शिकायत असत्य पाई गई। (2) वर्ष 2016 के शिकायती पत्र के आधार पर असंस्थाओं को नियमानुसार संचालन किये जाने हेतु पत्र क्रमांक/ सामान्य/2016/1527, दिनांक 13.5.16 के माध्यम से निर्देश प्रदान किये गये हैं।
2	खरगोन	1	2	—	संस्था संचालकों को निर्देशित किया गया एवं कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 अंतर्गत उक्त संबंध में निर्देश दिये गये हैं।
3	अशोकनगर	—	—	1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अशोकनगर की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों की बैठक आयोजित कर निर्देश दिये गये कि प्रवेश शुल्क, ड्रेस, पुस्तकें एवं स्टेशनरी आदि किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु पालकों एवं छात्रों को बाध्य न किया जावे।
4	जबलपुर	—	—	2	जबलपुर जिले में विगत 03 वर्षों में निजी विद्यालयों के द्वारा तय दुकान से गणवेश व स्कूल पाठ्यक्रम खरीदने की 02 शिकायतें प्राप्त हुई, प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु निजी संस्थाओं को निर्धारित दुकान से गणवेश व स्कूल पाठ्यक्रम खरीदने हेतु पालकों को बाध्य न किये जाने विषयक कड़े निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किए गए।
5	नरसिंहपुर	1	—	2	(1) जाँच के दौरान शिकायत सत्य पायी गई जिस पर कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा संबंधित संस्था को शासनादेश के तहत अशासकीय विद्यालयों में शुल्क निर्धारण हेतु मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। (2) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/2005/ए/अशा.वि./नर.दिनांक 06.05.2016 के द्वारा शासनादेश के तहत अशासकीय विद्यालयों में शुल्क निर्धारण हेतु मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। (3) शिकायत जांच के दौरान निराधार पायी गई।
6	उज्जैन	—	—	1	सेंटपाल कान्वेंट सी.नि.सेके. स्कूल आगर रोड, उज्जैन-पालकों से विद्यालय में तय दुकान से गणवेश व स्कूल पाठ्यक्रम खरीदने की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जाँच करवाई गई, शिकायत की पुष्टि होने पर कार्यवाही करने हेतु सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को कलेक्टर, जिला उज्जैन के माध्यम से पत्र क्रमांक 3089, दिनांक 16.08.16 को लिखा गया है।
7	नीमच	—	—	1	जिला नीमच अंतर्गत एक निजी विद्यालय कॉस्मो हाईस्कूल इंदिरा नगर नीमच की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जाँच प्राचार्यों के गठित दल से कराई गई जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
शिक्षा विभाग (शाखा - 3)

उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.